प्रकरण क्रमांक /द्वितीय अपील/2014 शिवपुरी

दि. 28-2-14 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट

1. नारायण पुत्र छोटे आदिवासी
2. बसंती पत्नी नारायण आदिवासी,
निवासी– ग्राम–सतनबाड़ा खुर्द,
तहसील/जिला–शिवपुरी

... आवेदकगण

बनाम

म0प्र0 शासन

.... अनावेदक

अपील [redacted]के आवेदनपत्र धारा 44 **(II)** म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग के प्र.क्र. 83/अपील 2013–14 आदेश दिनांक 04.02.2013 को पारित।

श्रीमान् जी,

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक अपील 698–तीन/2014 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–5–2014	अपीलार्थी अभिभाषक श्री कुवंरसिंह कुशवाह एवं शासकीय पैनल अधिवक्ता श्रीमती नीना पाण्डे द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। 2/ अपीलार्थी द्वारा यह अपील आयुक्त ग्वालियर संभाग के प्रकरण कमांक 83/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 04–2–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा ग्राम सतनबाड़ा खुर्द स्थित भूमि खसरा कमांक 240/2 रकबा 1.5 हे0 भूमि को विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे कलेक्टर शिवपुरी द्वारा अपने आदेश दिनांक 23–7–12 से निरस्त किया गया। आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 23–7–12 को निरस्त कर प्रकरण कलेक्टर की ओर इस निर्देश के साथ भेजा कि वह विधिवत जांच उपरांत गुण–दोषों के आधार पर मामले का निराकरण करें। स्पष्ट है आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर पुनः विधिवत जांच उपरांत गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है,	